न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 74/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

हरीसिंह पुत्र लौहरे जाति गूजर निवासी ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार बयाना दिनांक 23.5.2017 प्रकरण संख्या 133/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम हरीसिंह

उपस्थित :

1. श्री पुरूषोत्तम मुदगल वकील अपीलान्ट।

2. पेरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक – 21.12.2016

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 23.5.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी के संबध में पूर्व में न्यायालय हाजा में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील 141/2016 हरीसिंह बनाम सरकार में दिनांक 2.12.2016 को इस आशय का निर्णय पारित किया गया था कि विधिवत पैमायश/परीक्षण के अभाव में तहत निर्णय दिनांक 9.8.2016 निरस्त किया जाकर पुनः बाद पैमायश गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें तदोपरान्त प्रकरण में तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसके तहत सम्बत 2073 में खसरा नम्बर 929 रकबा 0.11 में से रकबा 0.01 गै0मु0 रास्ता वाकै ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना पर अपीलान्ट हरीसिंह का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2017 पारित किया गया। जिसके तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को बेदखल करते हुये अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर लगान 0.08 का पचास गुणा पैनल्टी राशि 4/– रूपये से दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के तहत तहसीलदार बयाना द्वारा सम्बत 2073 में खसरा नम्बर 929 रकबा 0.11 में से रकबा 0.01 गै0मु0 रास्ता वाकै ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना पर अपीलान्ट हरीसिंह का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2017 पारित किया गया। जिसके तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को बेदखल करते हुये अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर लगान 0.08 का पचास गुणा पैनल्टी राशि 4/– रूपये से दण्डित किया गया है । अवलोकन से पाया गया कि विवादित आराजी के संबध में पूर्व में न्यायालय हाजा में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील 141/2016 हरीसिंह बनाम सरकार में दिनांक 2.12.2016 को अपील अपीलान्ट स्वीकार /रिमाण्ड करते हुये तहसीलदार बयाना को निर्देशित किया गया था कि विधिवत पैमायश/परीक्षण के अभाव में तहत निर्णय दिनांक 9.8.2016 निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी के संबध में पुनः बाद पैमायश गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें तदोपरान्त प्रकरण में तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में वास्तविक पैमायश का विषय है। दिनांक 22.2.2017 को की गई मौका रिपोर्ट पर भी मात्र पटवारी एवं आई0एल0आर0 के हस्ताक्षर है मौके पर उपस्थित ग्रामीणों के अलावा अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर नहीं पाये गये। प्रकरण में अपीलान्ट का यही एतराज है कि विधिवत पैमायश करा ली जाये और यदि कोई अतिक्रमण पैमायश में पाया जाता है तो अपीलान्ट उसे हटाने को तैयार है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण पुनः विधिवत पैमायश हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट विधिवत पैमायश के अभाव में रिमाण्ड की जाती है एवं तहत अदालत तहसीलदार बयाना को प्रकरण रिमाण्ड करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विवादित आराजी की विधिवत पैमायश/परीक्षण करावें यदि बाद पैमायश अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2017 यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार बयाना अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी के खिलाफ नियमानुसार कडी कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2016 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official